



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022022-233280
CG-DL-E-10022022-233280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

No. 536]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

का.आ. 555(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1910 (अ) दिनांक 25.05.2016 द्वारा भूमि में उपयोग का अधिकार के अर्जन की घोषणा की थी ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड की संसूचना पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूखण्ड जो की, बिछायी गयी पाइपलाइन के संरेखण के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, के डी-नोटिफिकेशन करने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

और, भारत सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त एवं संतुष्ट होकर, एतद्वारा संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपयोग का अधिकार के अर्जन को डी-नोटिफाइड घोषित करती है ।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : पेण	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) जिर्णे	164	00	17	55
	167	00	09	63
	168	00	23	39
2) कलद	101	00	00	77
	109	00	01	79
	112	00	08	91
	168	00	00	15
3) मुंढाणी	152	00	03	75
	186	00	09	49
	3	00	04	76
	14	00	00	07

[फा. सं.एल.-14014/205/2021-जी.पी.-II (इ-40921)]

राकेश मिश्रा, अवसर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2022

S.O. 555(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1910 (E) dated 25-05-2016 Government of India declared acquisition of Right of User in land, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962).

And whereas, the Competent Authority, on intimation from M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, submitted a report requesting to de-notify the land parcels, the schedule annexed here to, which are not falling on the final alignment where the pipeline is laid.

And whereas, Government of India after considering the said report and on being satisfied, hereby declares that the Right of User acquired mentioned in the schedule are de-notified.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Pen	District : Raigad	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Jirne	164	00	17	55
	167	00	09	63
	168	00	23	39

2) Kalad	101	00	00	77
	109	00	01	79
	112	00	08	91
	168	00	00	15
3) Mundhani	152	00	03	75
	186	00	09	49
	3	00	04	76
	14	00	00	07

[F. No. L-14014/205/2021-GP-II (E-40921)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.